



Neutral Citation- 2026:AHC:16545

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 812/2026

लक्ष्मी (सेल्फ हेल्प ग्रुप) ग्राम भवानी गदा, पोस्ट शिवपुर याचिकाकर्ता (गण)

बनाम

उ०प्र० राज्य और 4 अन्य प्रत्यर्थी (गण)

याचिकाकर्ता (गण) की ओर से अधिवक्ता : प्रकाश वीर त्रिपाठी

प्रत्यर्थी (गण) की ओर से अधिवक्ता : सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री प्रकाश वीर त्रिपाठी के साथ-साथ श्री गया प्रसाद सिंह, राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता और गांव सभा के लिए श्री पंकज गुप्ता को सुना।
2. हालांकि वर्तमान रिट याचिका को खंड विकास अधिकारी, ब्लॉक बघौल, जिला संत कबीर नगर द्वारा पारित दिनांक 26.09.2024 के आदेश पर सवाल उठाते हुए प्रस्तुत किया गया है, जिसमें कहा गया है कि प्रतिवादी द्वारा पारिश्रमिक के भुगतान के लिए रिट याचिकाकर्ता के दावे को उसके मुवक्किल के निर्देशों के अनुसार खारिज कर दिया गया है, यह प्रस्तुत करता है कि रिट याचिकाकर्ता चौथे प्रतिवादी मुख्य विकास अधिकारी, जिला संत कबीर नगर के समक्ष अपनी शिकायत दर्ज कराते हुए एक अभ्यावेदन दायर करेगा।
3. बार में इस तरह की गई प्रस्तुतियों पर विचार करते हुए, रिट याचिका का निस्तारण रिट याचिकाकर्ता को 13.02.2026 तक रिट याचिका की स्व-सत्यापित प्रति और आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ व्यापक अभ्यावेदन के साथ चौथे प्रतिवादी, मुख्य विकास अधिकारी, जिला संत कबीर

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



नगर के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश देते हुए किया गया है। इसके बाद, चौथा प्रतिवादी दो महीने की अवधि के भीतर रिट याचिकाकर्ता के दावे का फैसला करेगा।

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

22 जनवरी, 2026

राजेश